

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),  
बिहार, पटना।  
प्रभारी पदाधिकारी,  
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना-15,दिनांक- / 05 / 2026

**विषय:-** श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0-247/26 के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मंत्रिपरिषद के विघटन के फलस्वरूप श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0-247/26, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-14.04.2026 के अपराहन के प्रभाव से आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद का स्वतः प्रभार त्याग किया गया एवं दिनांक-15.04.2026 के पूर्वाहन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7332, दिनांक-27.04.2026 द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 की सेवा माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-459, दिनांक-05.05.2026 द्वारा श्री कुमार को माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर नियुक्त किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-459, दिनांक-05.05.2026 के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक-27.04.2026 के प्रभाव से अधिसूचित पद का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0 दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-26.04.2026 तक प्रभार रहित अवधि में रहे।

4. अतः श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, को0 क्र0-247/26, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का दिनांक-15.04.2026 से दिनांक-26.04.2026 तक की प्रभार रहित अवधि को मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

0  
15/05.2026

23  
3/5/26

5. उक्त अवधि में श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, बि०प्र०से० को कोटि वेतन देय होगा।  
6. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-1118/2025-8781/सा०प्र०, पटना-15, दिनांक-18/05/2026

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्री ज्ञानेन्द्र कुमार, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/05/2026  
सरकार के उप सचिव।